रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 64] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 8, 2016/पौष 18, 1937
No. 64] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 2016/ PAUSA 18 , 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जनवरी, 2016

का.आ. 70(अ).— निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा ।

प्रारूप अधिसूचना

तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़ के सूरजपुर ज़िला में स्थित है, यह महत्वपूर्ण संरक्षित क्षेत्र है जो विभिन्न किस्म की वनस्पति और जीव जंतुओं जिनमें तेंदुआ, चित्तीदार मृग, मुंजक, चौसींगा मृग, नीला सांड, बनैला सूअर, भारतीय गवर, रीछ आदि से मिलकर बने समृद्ध प्राकृतिक आवास के लिए जाना जाता है और तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य 608.527 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है ।

और, तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य गुरू घासीदास राष्ट्रीय पार्क के साथ-साथ झारखंड में बेतला राष्ट्रीय पार्क के साथ और मध्य प्रदेश में संजय दूबेरी पार्क रिजर्व के साथ बाघों के लिए एक गलियारे का निर्माण करता है ।

और, तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, छत्तीसगढ़ राज्य के सूरजपुर जिले में तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य की सीमा के चारों ओर 2 किलोमीटर के विस्तार वाले क्षेत्र को तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिकी संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसके ब्यौरे निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिकी संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य का पारिस्थितिक संवेदी जोन 23° 30' 10.37" से 23°50'34.56" उत्तरी अक्षांश और 82°43'49.43" से 83°10'9.77" पूर्वी देशांतर में स्थित है तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के परिसर से 2 किलोमीटर के भीतर आने वाले पारिस्थितिकी संवेदी जोन 362.80 वर्ग किलोमीटर (जिसके अंतर्गत 254.98 वर्ग किलोमीटर आरक्षित और संरक्षित वन भी है) । भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) वन (संरक्षण अधिनियम, 1980) (1960 का 69) अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) है, और अन्य सुसंगत अधिनियम जहां कहीं लागू होते हों, लागू होंगे ; जीपीएस के निबंधानानुसार तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य और इसकी पारिस्थितिकी संवेदी जोन के निर्देशांक **उपाबंध I** में दिए गए हैं ।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले कुल 22 ग्राम अर्थात चकदेही, रकसगेंदा, पेंदरी, बोंगा बडवारकाला, रमकोला, धूरिया, भेलकच्छ घुई, बर्पातीया, खोपद्रा, चुटकी, कोल्डरी, पुटकी, बेडमी, नवादिही, करवां, तामकी, जजवाल, चिकीणी, बसनारा और देवरी हैं ।

(3) अक्षांश और देशांतर रेखा के साथ-साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा के ब्यौरे मानचित्र **उपाबंध II** के रुप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिकी संवेदी जोन के प्रयोजन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में अनुबंधों का पालन करते हुए एक आंचलिक महायोजना तैयार की जाएगी।

(2) उक्त योजना का राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन किया जाएगा ।

(3) पारिस्थितिकी संवेदी जोन का आंचलिक महायोजना राज्य सरकार द्वारा ऐसी रीति से जो इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाए और सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुरुप तैयार कि जाएगी ।

(4) आंचलिक महायोजना इसमें पर्यावरणीय और पारिस्थितिकी विचारणों को सम्मिलित करने के लिए सभी संबंधित राज्य विभागों के परामर्श से तैयार किया जाएगा, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) शहरी विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) छत्तीसगढ़ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(ix) सिंचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग ।

(5) आंचलिक महायोजना में जब तक इस अधिसूचना में ऐसा विनिर्दिष्ट न हो तब तक अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं किया जाएगा और आंचलिक महायोजना सभी अवसंरचना के सुधार और अधिक दक्ष तथा पारिस्थितिकी अनुकूल होने वाले क्रियाकलाप इस प्रकार विनिर्दिष्ट न हो।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिकी और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलुओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान और प्रस्तावित पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, आर्किडों, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को विनियमित करेगी जिससे पारिस्थितिकी अनुकूल विकास स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन सुरक्षा के लिए सुनिश्चित किया जा सके ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन क्रम सं. 10, 21, सं. 26, सं. 27 और सं. 28 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए, पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल कुटीर जैसे टेन्ट, काष्ट गृह ;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा तथा मजबूत करना और नई सड़कों का संनिर्माण करना ;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ;

(iv) वर्षा जल संचयन; और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग भी हैं ।

परंतु यह और कि राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)

अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में प्रतीत होने वाली कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सूचना देनी होगी :

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि के संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल-स्रोत** -- आंचलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों के आवाह क्षेत्रों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और नवीकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा इन क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलापों, जो ऐसे क्षेत्रों के लिए हानिकारक हैं, को प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप, के अनुसार होंगे, जो आंचलिक महायोजना, आंचलिक महायोजना का भाग होंगे ।

(ख) पर्यटन महायोजना पर्यटन विभाग, राज्य सरकार के वन और पर्यावरण विभाग, के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा पारिस्थितिक पर्यटन राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिकी संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा

परंतु संरक्षित क्षेत्रों की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिकीय संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट के स्थापन पर्यटन महायोजना के अनुसार पारिस्थितिकीय पर्यटन सुविधा के लिए पूर्व परिभाषित और विनिर्दिष्ट स्थान में ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकारियों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातों आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, वास्तु शिल्पीय कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों और उपक्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएंगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या छत्तीसगढ़ राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य या राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग या मध्य प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट --** ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 को प्रकाशित नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिकी संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भस्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**- पारिस्थितिकी संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गति आवास के अनुकूल रीति में विनियमित होगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध समाविष्ट किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और पर्यावरण और वन मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित होने तक, राज्य स्तरीय पारिस्थितिकी संवेदी जोन मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) **औद्योगिक इर्काइयां**.-

(क) प्रस्तावित प्रारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर नए काष्ठ उद्योगों की स्थापना विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के लिए अनुज्ञात की जाएगी अन्यथा नहीं ।

(ख) प्रस्तावित पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाले नए उद्योग की स्थापना नहीं की जाएगी।

4. पारिस्थितिकी संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध या विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिकी संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	**क्रियाकलाप**	**टीका-टिप्पणी**
(1)	(2)	(3)
	अ. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं के सिवाय नहीं होंगी जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संन्निर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइलों एवं ईटों का निर्माण भी सम्मिलित है ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा।
2.	आरा मीलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
3.	किसी परिसंकटमय पदार्थ उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
4.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर किसी नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना और उनका विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
5.	नई मुख्य ताप और जल विद्युत परियोजना की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
6.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण।	एक से दस गेडियंट तक के ढालू पहाड़ी पर और किसी नदी, और प्राकृतिक नाला, सरिता, नहर और उप नदी के तट से 100 मीटर तक भी कोई संनिर्माण क्रियाकलाप तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि समिति द्वारा अन्यथा अनुज्ञात नहीं कर दिया गया हो।
7.	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
8.	प्लास्टिक के बैगों का उपयोग।	प्लास्टिक की वस्तुओं, लैमिनेटों और टेट्रापैकों का निर्माण सर्वदा विनियमित और मानीटर किया जाएगा।

9.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
	विनियमित क्रियाकलाप	
10.	होटल और रिसोर्ट का वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिकीय अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा। तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिकी संवेदी जोन तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुरुप होगा।
11.	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्रों तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से दो किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी ; परंतु ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियम यदि कोई हों और विनियमों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ख) तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर से आगे, और पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरुप होंगे।
12.	भूमि खुदाई।	नई भूमि की खुदाई की स्थापना प्रतिषिद्ध है और पुरानी भूमि की खुदाई लागू विधियों के अधीन विनियमित की जाएगी।
13.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
14.	वायु और यानिक प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
15.	ध्वनि प्रदूषण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
16.	भू-जल निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
17.	वृक्षों की कटाई।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी।

		(ख) वृक्षों की कटाई, संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा में कार्य योजना का अनुसरण किया जाएगा ।
18.	प्रवासी चरने वाले पशु ।	लागू विधियों के अधीन और आंचलिक महायोजना के अनुसार विनियमित होंगे ।
19.	विद्यमान स्थापना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
20.	विद्युत लाइनों का रोधन ।	भूमिगत केबल डालने को बढ़ावा दिया जाएगा और पारिस्थितिकी संवेदी जोन से होकर गुजरने वाली सभी विद्यमान विद्युत लाइनों को आंचलिक महायोजना के अधीन विहित समय सीमा में पर्याप्त रुप से रोधित किया जाएगा ।
21.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना ।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
22.	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । पारिस्थितिकी संवेदी जोन के भीतर वन्य जीव के अबाध चलन को अनुज्ञात करने के लिए होटलों या अन्य वाणिज्यिक स्थापनों को कांटेदार तार से उनकी संपत्तियों की बाड़ एक मीटर से अधिक की नहीं होगी तथा इस अनुबंध का अनुपालन न करने वाली विद्यमान बाड को आंचलिक महायोजना में उल्लिखित समय सीमाओं के अनुसार उपांतरित किया जाएगा ।
संवर्धित क्रियाकलाप :		
23.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागबानी व्यवसायों के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि, जल कृषि और मछली पालन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
24.	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
25.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
26.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
27.	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।
28.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि, पुष्प कृषि, कृषि उद्यान या कृषि आधारित उद्योग, जो में देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करते हैं और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं, को अनुज्ञाक किया जाएगा ।
29.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाएगा ।

5. मानीटरी समिति.- (1) केंद्रीय सरकार, छत्तीसगढ़ राज्य के लिए पारिस्थितिक संवेदी जोन की प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जिसके नाम मानीटरी समिति होगा, अर्थात् :-

(i) प्रभागीय आयुक्त, सरगुजा अंबिकापुर - अध्यक्ष ;

(ii) छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए एक विशेषज्ञ– सदस्य ;

(iii) जिला पंचायत, सूरजपुर का मुख्य कार्यकारी अधिकारी- सदस्य;

(iv) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि - सदस्य;

(v) छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड का प्रतिनिधि – सदस्य ;

(vi) कलक्टर, सूरजपुर – सदस्य ;

(vii) अधीक्षण इंजीनियर, लोक निर्माण विभाग, सूरजपुर– सदस्य ;

(viii) अधीक्षण इंजीनियर, जन स्वास्थ्य इंजीनियरी, सूरजपुर– सदस्य ;

(ix) नगर और ग्राम्य नियोजन का प्रतिनिधि– सदस्य ;

(x) जिला वन अधिकारी, सूरजपुर– सदस्य ;

(xi) वन संरक्षक (वन्यजीव) और क्षेत्र निदेशक हाथी रिजर्व, अंबिकापुर – सदस्य-सचिव ।

6. निर्देश निबंधन :-

(1) मानिटरी समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिकी संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध III** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंध , भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा.सं. 25/155/2015-ईएसजेड/आरई]

डॉ. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध I

तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के भू-मंडलीय स्थिति प्रणाली निर्देशांक के साथ सीमा का वर्णन

क्र.सं.	अभयारण्य/राष्ट्रीय उद्यान नाम	वर्णन	प्रकार	अक्षांश (डीएमएस)	देशांतर (डीएमएस)
1	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस1	23°49'12.4536	82°45'47.4264
2	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस 2	23°47'23.0172	82°49'56.8092
3	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस 3	23°44'54.9996	82°53'9.4596
4	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस 4	23°44'57.8688	82°59'18.1716
5	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस 5	23°43'52.3812	83°5'18.0132
6	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस 6	23°42'13.608	83°7'41.8836
7	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस 7	23°40'53.1372	83°0'4.8888
8	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस 8	23°40'3.8748	82°56'42.8532
9	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस 9	23°38'35.448	83°0'54.3456
10	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस 10	23°33'54.9828	83°3'29.9304
11	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस 11	23°34'9.4908	82°56'34.998
12	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस 12	23°35'20.85	82°54'25.0416
13	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस 13	23°36'59.6952	82°51'56.2968
14	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस 14	23°38'32.0856	82°49'13.2276
15	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस 15	23°41'1.9464	82°47'6.5148
16	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस 16	23°43'32.556	82°44'2.1804
17	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	अभयारण्य बिंदु	एस 17	23°46'46.2072	82°44'46.0572

तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य –पारिस्थितिकी संवेदी जोन के साथ तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन की सीमा के जी.पी.एस. निर्देशांक बिंदु

क्र.सं.	अभयारण्य नाम	वर्णन	प्रकार	अक्षांश (डीएमएस)	देशांतर (डीएमएस)
1	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिकी बिंदु	ई1	23°50’18.6144	82°46’9.1992
2	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिकी बिंदु	ई 2	23°49’8.724	82°49’10.5312
3	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिकी बिंदु	ई 3	23°48’15.2784	82°53’32.298
4	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिकी बिंदु	ई 4	23°46’1.1928	82°56’45.564
5	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिकी बिंदु	ई 5	23°46’8.9004	83°1’22.8252
6	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिकी बिंदु	ई 6	23°46’1.3656	83°7’4.9728
7	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिकी बिंदु	ई 7	23°44’23.3052	83°10’4.9692
8	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिकी बिंदु	ई 8	23°40’3.0684	83°7’18.9912
9	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिकी बिंदु	ई 9	23°38’30.5664	83°4’20.9208
10	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिकी बिंदु	ई 10	23°36’38.8188	83°3’11.0916
11	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिकी बिंदु	ई 11	23°32’25.3752	83°1’6.8232
12	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिकी बिंदु	ई 12	23°30’10.89	82°58’34.5972
13	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिकी बिंदु	ई 13	23°32’17.3004	82°55’16.5468
14	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिकी बिंदु	ई 14	23°33’29.9916	82°51’9.864
15	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिकी बिंदु	ई 15	23°36’5.4396	82°49’54.4008
16	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिकी बिंदु	ई 16	23°37’33.7764	82°46’59.2716
17	तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य	पारिस्थितिकी बिंदु	ई 17	23°42’2.6028	82°44’4.1424

उपाबंध-II

अक्षांश और देशांतर के साथ तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के पारिस्थितिकी संवेदी जोन का मानचित्र

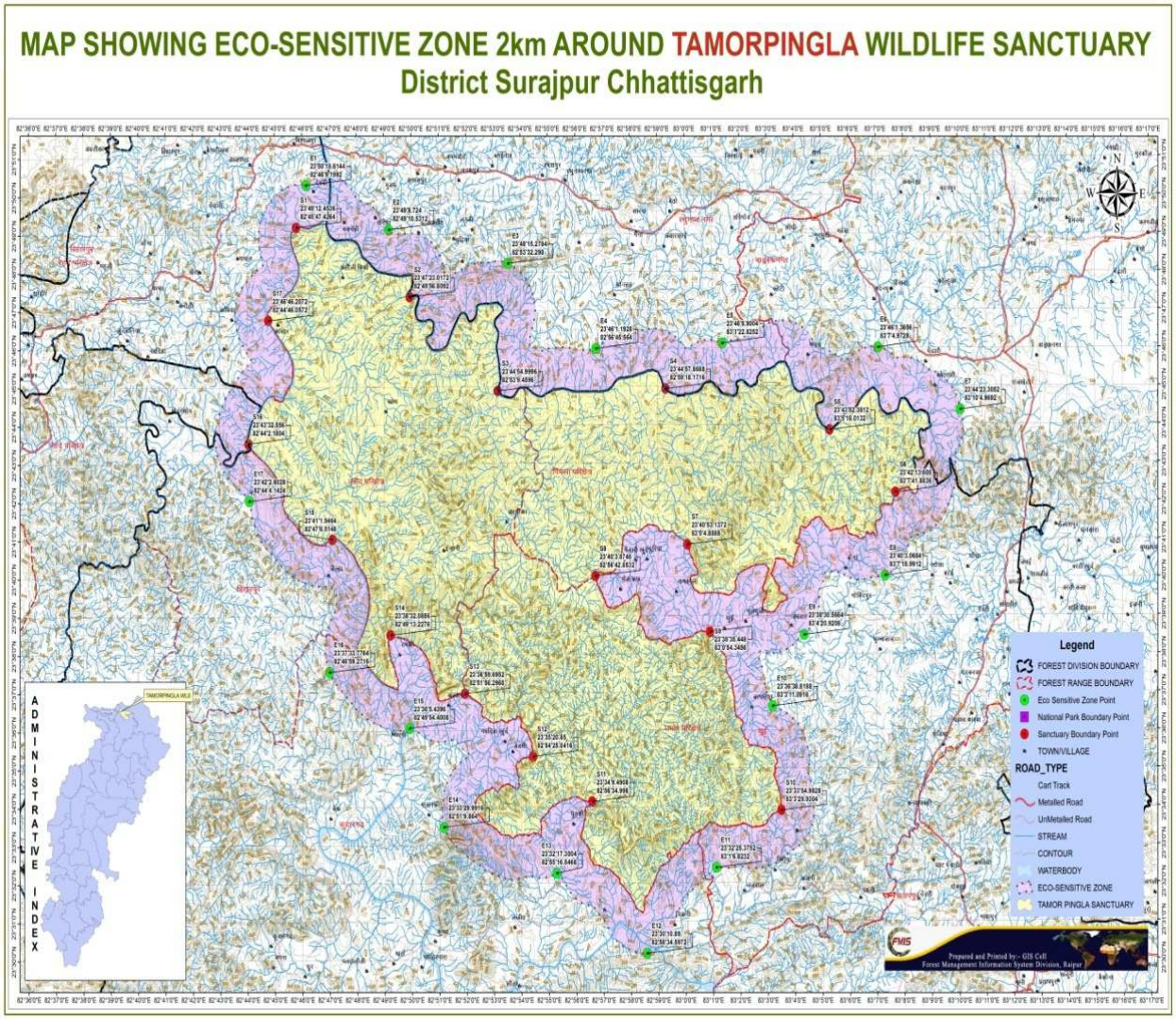

उपाबंध-III

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना ।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. ईआईए अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th January, 2016

S.O. 70(E).— The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at: esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Tamor Pingla Wildlife Sanctuary located in district Surajpur, Chhattisgarh is an important protected area known for its rich habitat consisting of a variety of flora and fauna including Leopard, Spotted Deer, Barking Deer, Four Horned Antelope, Blue Bull, Wild Boar, Indian Bison, Sloth Bear, etc and the Tamor Pingla Wildlife Sanctuary is spread over an area of 608.527 square kilometre.

AND WHEREAS, the Tamor Pingla Wildlife Sanctuary along with Ghurughasi Das National Park forms a national corridor for tigers with Betala National Park in Jharkhand and with Sanjay Dubari Tiger Reserve in Madhya Pradesh.

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which are specified in paragraph 1 of this notification around the protected area of Tamor Pingla Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive zone (ESZ) from ecological, environmental and biodiversity point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW THEREFORE, in exercise of the power conferred by sub section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area with an extent

upto two kilometres around the boundary of Tamor Pingla Wildlife Sanctuary in district Surajpur, in the State of Chhattisgarh as the Tamor Pingla Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and Boundaries of Eco-sensitive Zone:- (1) The eco-sensitive zone of the Tamor Pingla Widllife Sanctuary lies between 23°30'10.37" to 23°50'34.56" N latitude and 82°43'49.43" to 83°10'9.77" E longitude. The Eco-sensitive Zone shall be 362.80 square kilometres (including 254.98 square kilometre reserve and protected forest and 107.82 sq.km Revenue area) with an extent of 2 kilo meter from the periphery of the Tamor Pingla Wildlife Sanctuary and the provisions of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Schedule Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007) and other relevant acts wherever applicable shall also apply; the boundary details of Tamor Pingla Wildlife Sanctuary and its eco-sensitive zone in terms of Global Positioning System coordinates are given in **Annexure-I.**

(2) A total of twenty two villages fall within the Eco-sensitive Zone, namely Chakdehi, Rakasganda, Pendri, Bonga, Badwarkala, Ramkola, Dhuria, Bhelkachh, Ghui, Barpatia, Khopdra, Chutki, Koldri, Putki, Bedmi, Nawadih, Karwan, Tamki, Jajwal, Chikni, Basnara and Deori.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with boundary details and latitudes and longitudes is appended as **Annexure-II**.

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the Competent Authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such a manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;
(ii) Forest;
(iii) Urban Development;
(iv) Tourism;
(v) Municipal;
(vi) Revenue;
(vii) Agriculture;
(viii) Chhattisgarh Environment Conservation Board;
(ix) Irrigation;
(x) Public Works Department ,

for integrating environmental and ecological consideration into it.

(5) The Zonal Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the said Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that needs attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, tribal areas, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone so as to ensure Eco-friendly development for livelihood security of local communities.

3. **Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10,21,26,27,28 in column (2) of the Table in paragraph 4, namely:-

(i) eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for Eco-friendly tourism activities;

(ii) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) rainwater harvesting; and

(v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph.

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, in consultation with Department of Forests and Environment, Government of Chattisgarh.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometre from the boundary of the Tamor Pingla Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to Eco-friendly tourism activities:

Provided that beyond the distance of one kilometre from the boundary of the protected area till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of the hotels and resorts shall be permitted only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism master Plan;

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government or Chhattisgarh Environment Conservation Board shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981(14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government or Chhattisgarh Environment Conservation Board shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made there under.

(9) **Solid wastes.-** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September, 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmentally acceptable manner at site(s) identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* Notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal master plan is prepared and approved by the competent authority in the State Government, Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial Units.-**

(a) No establishment of new wood based Industries within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted except the existing wood based Industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new Industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited Activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) All new and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the orders of the Hon'ble Supreme Court dated 04.08.2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated 21.04.2014 in

		the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
5.	Establishment of new major thermal and hydro-electric projects	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Protection of hill slopes and river banks	No construction activity unless otherwise permitted by State Level Committee shall be undertaken on the hill with slopes more than 1 to 10 gradient and also upto 100 meters from the banks of any river, and natural nallahs, streams, canals and tributaries.
7.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Use of plastic bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	Undertaking activities related to tourism such as flying over the Wildlife Sanctuary Area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
Regulated Activities		
10.	Establishment of hotels and resorts	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one km of the boundary of the Wildlife Sanctuary except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometre from the boundary of the Tamor Pingla Wildlife Sanctuary and upto the extent of Eco-sensitive Zone, all new tourism activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan.
11.	Construction activities	a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within two kilometre from the boundary of the Tamor Pingla Wildlife Sanctuary: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3: Provided further that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the Competent Authority as per applicable rules and regulations, if any. (b)Beyond one kilometre of the boundary of the Tamor Pingla Wildlife Sanctuary and upto the extent of the Eco-sensitive Zone, construction for bonafide local needs shall be permitted and other construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan.

12.	Trenching ground	Establishing of new trenching ground is prohibited and old trenching grounds shall be regulated under applicable laws.
13.	Discharge of effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Regulated under applicable laws.
14.	Air and vehicular pollution	Regulated under applicable laws.
15.	Noise pollution	Regulated under applicable laws.
16.	Extraction of ground water	Regulated under applicable laws.
17.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees in the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
18.	Migratory graziers	Regulated under applicable laws and as per Zonal Master Plan.
19.	Existing establishments	Regulated under applicable laws
20.	Insulation of electric lines	Underground cabling shall be promoted and all existing electric lines passing through the Eco-sensitive Zone shall be adequately insulated in the time frame prescribed under the Zonal Master Plan.
21.	Widening and strengthening of existing roads	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
22.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	Regulated under applicable laws. In order to allow free movement of wildlife, hotels or other commercial establishments within the Eco-sensitive Zone shall not fence their properties with barbed wire and no fence shall be higher than one meter and any existing fence not complying with this stipulation shall be modified as per the time lines mentioned in the Zonal Master Plan.
Promoted Activities		
23.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries	Shall be actively promoted
24.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
25.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
26.	Cottage industries including village artisans.	Shall be actively promoted.
27.	Rain water harvesting	Shall be actively promoted.

28.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
29.	Use of renewable energy sources	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- (1) The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprises of the following members, namely**:-**

(i)	Divisional Commissioner, Surguja, Ambikapur	Chairman
(ii)	An expert in the area of ecology and environment - to be nominated by the Government of Chhattisgarh for a period of one year.	Member
(iii)	Chief Executive Officer of District Panchayat, Surajpur	Member
(v)	One representatives of Non-governmental Organisation -	Member
	(working in the field of environment including heritage conservation) to be nominated by the Government of India for a period of one year.	
(vi)	Representative of Chhattisgarh Environment Conservation Board	Member
(vii)	Collector, Surajpur-	Member
(viii)	Superintendent Engineer, Public Works Department, Surajpur -	Member
(ix)	Superintendent Engineer, PHE, Surajpur-	Member
(x)	Representative of Town and Country Planning	Member
(xi)	District Forest Officer, North Surguja, Ambikapur	Member
(xii)	Chief Conservator of Forest (Wildlife) and Field Director, Elephant Reserve Ambikapur.	Member-Secretary

6. Terms of Reference

(1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(4) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per proforma given in **Annexure III**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F.No.25/155/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

Boundary details with GPS Co-ordinates of Tamor Pingla Wildlife Sanctuary

SI.No.	Sanctuary/NP Name	Description	TYPE	Latitude (DMS)	Longitude (DMS)
1	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Sanctuary Point	S1	23°49'12.4536	82°45'47.4264
2	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Sanctuary Point	S2	23°47'23.0172	82°49'56.8092
3	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Sanctuary Point	S3	23°44'54.9996	82°53'9.4596
4	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Sanctuary Point	S4	23°44'57.8688	82°59'18.1716
5	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Sanctuary Point	S5	23°43'52.3812	83°5'18.0132
6	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Sanctuary Point	S6	23°42'13.608	83°7'41.8836
7	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Sanctuary Point	S7	23°40'53.1372	83°0'4.8888
8	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Sanctuary Point	S8	23°40'3.8748	82°56'42.8532
9	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Sanctuary Point	S9	23°38'35.448	83°0'54.3456
10	Tamorpingla WLS	Sanctuary Point	S10	23°33'54.9828	83°3'29.9304
11	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Sanctuary Point	S11	23°34'9.4908	82°56'34.998
12	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Sanctuary Point	S12	23°35'20.85	82°54'25.0416
13	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Sanctuary Point	S13	23°36'59.6952	82°51'56.2968
14	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Sanctuary Point	S14	23°38'32.0856	82°49'13.2276
15	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Sanctuary Point	S15	23°41'1.9464	82°47'6.5148
16	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Sanctuary Point	S16	23°43'32.556	82°44'2.1804
17	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Sanctuary Point	S17	23°46'46.2072	82°44'46.0572

Tamor Pingla Wildlife Sanctuary – Eco Sensitive Zone with GPS Co-ordinates of points along the boundary of Eco-Sensitive Zone of Tamor Pingla WLS

SI.No.	Sanctuary Name	Discription	TYPE	Latitude (DMS)	Longitude (DMS)
1	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Eco Sensitive Point	E1	23°50’18.6144	82°46’9.1992
2	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Eco Sensitive Point	E2	23°49’8.724	82°49’10.5312
3	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Eco Sensitive Point	E3	23°48’15.2784	82°53’32.298
4	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Eco Sensitive Point	E4	23°46’1.1928	82°56’45.564
5	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Eco Sensitive Point	E5	23°46’8.9004	83°1’22.8252
6	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Eco Sensitive Point	E6	23°46’1.3656	83°7’4.9728
7	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Eco Sensitive Point	E7	23°44’23.3052	83°10’4.9692
8	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Eco Sensitive Point	E8	23°40’3.0684	83°7’18.9912
9	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Eco Sensitive Point	E9	23°38’30.5664	83°4’20.9208
10	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Eco Sensitive Point	E10	23°36’38.8188	83°3’11.0916
11	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Eco Sensitive Point	E11	23°32’25.3752	83°1’6.8232
12	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Eco Sensitive Point	E12	23°30’10.89	82°58’34.5972
13	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Eco Sensitive Point	E13	23°32’17.3004	82°55’16.5468
14	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Eco Sensitive Point	E14	23°33’29.9916	82°51’9.864
15	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Eco Sensitive Point	E15	23°36’5.4396	82°49’54.4008
16	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Eco Sensitive Point	E16	23°37’33.7764	82°46’59.2716
17	Tamorpingla Wildlife Sanctuary	Eco Sensitive Point	E17	23°42’2.6028	82°44’4.1424

ANNEXURE-II

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE OF TAMOR PINGLA WILDLIFE SANCTUARY WITH LATITUDES AND LONGITUDES

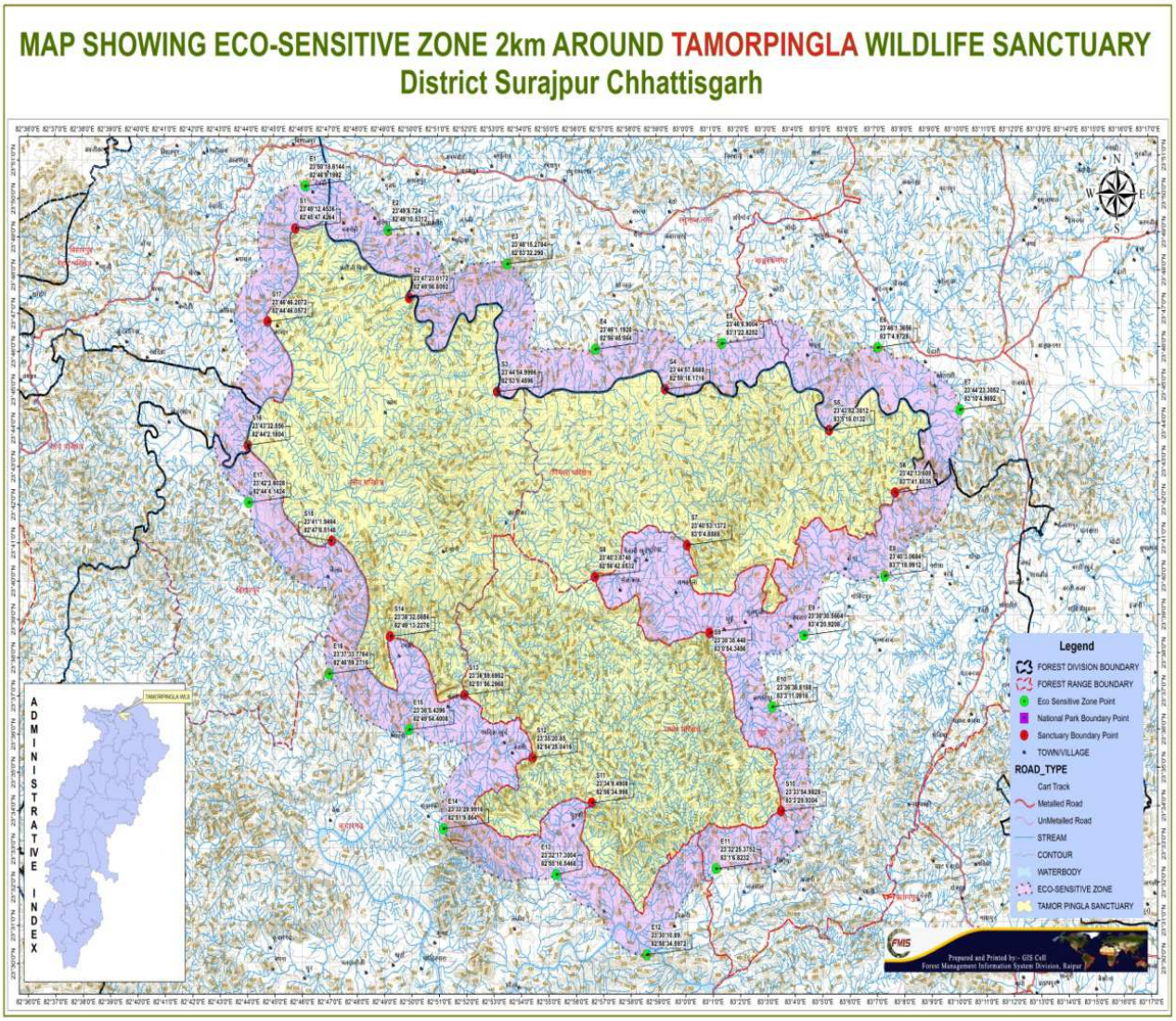

ANNEXURE-III

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attach Minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record (Eco-sensitive Zone wise).

   Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006

   Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006.

   Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints lodged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.